न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 51/2015 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2015/00061

1. पुनमचंद पुत्र मोडाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किशनासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. लिछमा पुत्री भोमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किशनासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. शंकरलाल पुत्र अर्जुनराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किशनासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. अमरचंद
4. शंकर
5. भागीरथ
6. भंवरी देवी
7. मैना देवी

(3 से 7) पिसरान सुन्दर देवी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किशनासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

8. मोडाराम पुत्र बगताराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किशनासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. ग्राम पंचायत उदासर जरिए सरपंच।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जगदीश आचार्य एवं विनोद पुरोहित — अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेश वैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय

दिनांक 29.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 22.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही किशनासर के खसरा नंबर क्रमशः 177, 183 रकबा क्रमशः 15 बीघा 4 बिस्वा तथा 72 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 2/3 हिस्सा अधिकार रहा भोमाराम के फौत हो जाने पर भोमाराम की भूमि भोमाराम की पुत्रियों लिछमा व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7 की माता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की पत्नी सुन्दरदेवी के नाम विरासतन दर्ज हुआ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7 की माता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की पत्नी सुन्दरदेवी के फौत हो जाने पर ग्राम पंचायत उदासर ने उक्त भूमि का इंतकाल सुन्दरदेवी के वारिसान के नाम दर्ज ना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जरिए इंतकाल संख्या 356 दर्ज कर दिया। अपीलांट ने उक्त इंतकाल संख्या 356 के विरूद्व अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2015 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 22.04.2015 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वादगत सम्पत्ति में संबंध में एक मौखिक समझौता परिवार के बुजूगो के मध्य सन 1982 में हुआ था, उक्त मौखिक पारिवारीक समझौते को अब याददास्त दस्तावेज के रूप में लिखित रूप दिनांक 22.03.2025 को परिवार के मौजिज व्यक्तियों द्वारा दिया गया है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेज दिनांक 22.03.2025 पक्षकारान के मध्य उपजे विवाद के वास्तवित निपटारें के लिए सुसंगत दस्तावेज है, जिसे रिकॉर्ड पर लिए जाने से न्यायालय प्रकरण का भलीभांति न्यायिक निस्तारण कर सकेगा तथा पक्षकारान के मध्य भी न्याय हो सकेगा। अतः उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर संलग्न प्रमाणित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी को विरूद्ध करते हुए अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना—पत्र के पैरा संख्या 1 में लिखे गये कथन बेवजह गलत बयानी होने से स्वीकार नहीं है। पैरा संख्या 1 में जिस मौखिक पारिवारिक समझौता 1982 का कथन किया गया है। ऐसा कोई समझौता अस्तित्व में नहीं है ना ही कभी रहा था। यादशात दस्तावेज के रूप में लिखित दस्तावेज 22.03.2025 कानूनन प्रकरण हाजा का भाग नहीं बन सकता। प्रार्थना—पत्र के पैरा संख्या 2 में लिखे गये कथन स्वीकार नहीं है। उक्त वर्णित दस्तावेज पक्षकारों के मध्य विवाद को निपटारें के लिए सुसंगत दस्तावेज नहीं है। जिसे रिकॉर्ड पर लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रार्थना—पत्र के पैरा संख्या 3 में लिखे गये कथन स्वीकार नहीं है। दोनों पक्षकारों की बहस समाअत हो जाने के बाद कानूनन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः प्रार्थना—पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे। हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी तथा अभिभाषकगण प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 2 के उक्त प्रार्थना–पत्र में उठाये गये तथ्यो से हम सहमत है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट की माता सुन्दर के स्वर्गवास के बाद वारिसान की जांच किये बिना मु. लिछमा द्वारा हिस्सा रेसपोडेन्ट संख्या 2 शंकरलाल को दिया जाना अंकित करते हुए मु. सुन्दर का हिस्सा भी रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के नाम स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से शून्य है। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2002 पेज नं. 108, आरआरडी 1980 पेज नं. 48बी, आरआरडी 1983 पेज नं. 554 एवं आरएलडब्ल्यू(आर)2011 (1) पेज नं. 441 प्रस्तुत किए। उक्त वादगत भूमि अजूराम इन्दाराम पिसरान दलाराम ब.हि.ब 2/3 हिस्सा मु. लिछमा सुन्दर पिसरान भोमाराम ब.हि.ब 1/3 के नाम बतौर खातेदार अंकित थी जिसमें खातेदार अजूराम, इन्दाराम व सुंदर खातेदार के फौत होने पर इंतकाल संख्या 356 खोला गया, इंतकाल संख्या 356 के कॉलम संख्या 9 खातेदार सुंदर के वारिस के रूप में मु. लिछमा का नाम अंकित किया गया जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 मौजूद थे, इस कारण मु. सुंदर के स्वर्गवास के बादर आराजी जैर अपील में मु. सुन्दर का हिस्सा बहैहिसयत जायज वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित हो गई थी। मु. सुन्दर अथवा उसके वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 ने अपने हक व हिस्से की भूमि कभी भी मु. लिछमा के नाम न तो मौखिक रूप से ना ही किसी दस्तावेज से छोडी टी.पी एक्ट के अनुसार 100 से ज्यादा की संपति केवल मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही किसी अन्य को दी जा सकती हैं इस कारण इंतकाल संख्या 356 खारिज योग्य है। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 465 एवं आरबीजे 2006 पेज 671 प्रस्तुत किए। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल संख्या 356 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित पारित किया गया है इसलिए आदेश कानुनन शून्य है और शून्य आदेश पर मियाद के प्रावधान लागू नही होते है। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज नं. 17 एवं आरआरडी 1992 पेज नं. 117 प्रस्तुत किए। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल संख्या 356 अपीलांट की पीठ पीछे पारित किया गया होने से अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी नही रही। दिनांक 02.05.2013 को अपीलांट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई। मियाद जानकारी से प्रारंभ होती है न कि निर्णय से । इसलिए अपील मियाद के अंदर प्रस्तुत की गई थी इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपीलांट की अपील खारिज कर दी। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1983 पेज 332ए एवं आरआरडी 1984 पेज 45इ प्रस्तुत किए। ग्राम पंचायत ने अपीलांट की माता सुंदर के स्वर्गवास के बाद वारिसान की जांच किये बिना मु. लिछमा के नाम इंतकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 356 भरा तथा बिना किसी दस्तावेज के मु. लिछमा द्वारा हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शंकरलाल को दिया जाना अंकित करते हुए मु. सुंदर का हिस्सा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई अधिकार हासिल नही होता है। विधि विरूद्ध तस्दीक इंतकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट को मियाद जैसे तकनीकी बिंदु पर अपीलांट की अपील खारिज करने की दलील देने का अधिकार नही है मैरोटेरियस केस को म्याद जैसे टेकनिकल बिन्दु पर खारिज नही किया जा सकता। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (6) 1999 पेज नं. 239, आरएलडब्ल्यू 2005(2) आरजे पेज नं 596, आरएलडब्ल्यू 2008(2) आरजे पेज नं. 112, आरएलडब्ल्यू 2012(2) आरजे पेज 995 एवं आरएलडब्ल्यू 2014(2) आरजे पेज नं. 1139 प्रस्तुत किए। अपीलांट द्वारा की गई बहस को निर्णय में अंकित नही किया गया है वकील अपीलांट द्वारा जो नजीरें पेश की गई थी, उनका अंकन मात्र कर दिया गया है परन्तु उनको डिसकस नही किया है जो कि कानूनन आवश्यक था, मियाद बिन्दु के निर्णय में यह स्पष्ट नही किया है कि जिस तारिख को अपीलांट अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथत जानकारी जिस दिन होना बताता है वह गलत क्यों है वकील रेस्पोडेन्ट ऐसा कोई प्रमाण नही दे पाए जिससे अपीलांट द्वारा बताई गई प्रथत जानकारी की तिथी से पहले अपीलांट को जानकारी होना सिद्ध होता हो। कानुनन अनुमानों के आधार पर यानि कंजेक्चर को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को कंजेक्चर पर निर्णय लेने के बजाय ठोस सबुतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। अदालत मातहत ने अपने आदेश में खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अंकित किया है। भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेशों की अपीले भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 व 76 में प्रावधित की गई है। अपील करने से अधिनियम में कहीं बाधित नही किया गया है इसलिए अदालत मातहत द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अंकन किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरित होने से आदेश जैर अपील निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील व आदेश जैर इंतकाल संख्या 356 व इसके बाद पश्चात दर्ज इंतकाल निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 के नाम उक्त भूमि में मु. सुंदर के हिस्से का इंतकाल स्वीकृत फरमाया जावें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि अजुराम, इंदाराम व भोमाराम पिसरान दलाराम के नाम से स्थित थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के चाचा भोमाराम के दो पुत्री संतान ही थी। स्व. भोमाराम ने अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक समझोते के तहत अपने हक में हिस्से की कृषि भूमि शंकरलाल के हक में रख दी तथा आबादी भूमि अपनी पुत्री स्व. संतोष देवी के हक में रख दी और पारिवारिक समझोते के तहत यह तय किया कि शंकरलाल स्व. भोमाराम के हक व हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त करेगा तथा भोमाराम व उसकी पत्नी रूकमा देवी तथा दोनों पुत्रीयों लिछमा एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्व. सुंदर के संबंध में सभी सामाजिक कृत्य अपने खर्चे से संपन्न करेगा। उक्त पारिवारिक समझौता मौखिक रूप से दिनांक 17.01.1982 को एक नामकरण संस्कार के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के उपरिथिति में जिसमे भोमाराम पत्नी रूकमा देवी दोनों पुत्रीयां उपरिथत थी। तत्पश्चात् शंकरलाल ने पारिवारिक समझौते के तहत आज तक सभी सामाजिक कृत्य लिए पांबद है। भोमाराम की पत्नी रूकमा देवी व एक पुत्री सुंदर का देवावसान हो चुका है। विधि अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त पैतृक संपत्ति में मौखिक पारिवारिक समझौते को विधिक मान्यता प्रदान की गई है जिसके तहत इंतकाल संख्या 356 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से दर्ज किया गया है जिससे परिवार के किसी सदस्य को कोई ऐतराज नही रहा, केवल सुंदरदेवी के वारिसान ही ऐतराज कर रहे है। जबकि भोमाराम की दूसरी पुत्री लिछमा उपरोक्त वर्णित मौखिक पारिवारिक समझौते से पूर्णत सहमत है। इस प्रकार उपरोक्त अनुवानी अपील विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं। अभिभाषक अपीलांट की लिखित बहस का बिन्दु संख्या 1 ग्राम पंचायत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरित है के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 ने जवाव में बताया कि अंकित तथ्य जिस प्रकार लिखे गए है, अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत ही की है। जिसमें अन्य किसी सहखातेदार को कोई ऐतराज नही है। अभिभाषक अपीलांट के लिखित बहस का बिन्दु संख्या 2 के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि इस शीर्षक में अंकित तथ्य जिस प्रकार लिखे गये हे, अस्वीकार है। क्योंकि हिन्दु उतराधिकार में मौखिक पारिवारिक समझौते के विधि मान्यता प्राप्त है जिसके तहत सम्पत्ति की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेज की आवश्यकता नही होती है इस प्रकाय यह बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध तय किया जाने योग्य हैं। अभिभाषक अपीलांट के लिखित बहस का बिन्दु संख्या 2 के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या का कथन है कि इस शीर्षक के तहत नजीर एवं कथन सम्मत नही होने से अस्वीकार है। इंतकाल संख्या 356 दिनांक 22.05.1985 कतई कानून सम्मत आदेश की श्रेणी आता है। इसलिए मियाद के प्रावधान कठोरता से लागू होते है। अभिभाषक अपीलांट के लिखित बहस का बिन्दु संख्या 4 व 5 के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि इस शीर्षक में अंकित तथ्य अस्वीकार है। अपीलांट परिवार का सदस्य है एवं परिवार के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी व सूचनाएं अपीलांट को प्रारंभी से ही जानकारी मे रहती हैं अपीलांट का कथन की उसे नामांतरकरण संख्या 356 दिनांक 22.05.1985 की जानकारी दिनांक 02.05.2013 तक नही थी कतई स्वभाविक एवं सदभाविक आधार नही है। जानकारी की तारीख मनमाने व मनमढंत तरीके से अपील को रंगत देने की नियत से किसी बारिक दिनांक की सूझबूझ से अंकित की गई है जिससे अपील अंदर मियाद दर्शित की जा सके साथ ही सन 2013 में अपीलांट की उम्र लगभग 45 साल से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिक रही है, इस उम्र तक परिवार के व परिवार की संपत्तियों के संबंध में जानकारी न होना कतई स्वाभाविक कथन नही है। इस प्रकार प्रथम अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी जिसे मियाद बाहर मानने में अधीनरथ न्यायालय ने कोई कानूनी गलती नही की है। अभिभाषक अपीलांट के लिखित बहस का बिन्दु संख्या 7 के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि इस शीर्षक में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। अपीलांट का यह कथन की अधिनियम में नामांतरण की अपील में प्रावधान दिये गये है। इसलिए राजस्व वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के विकल्प को गलत वताया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रकरण में तथ्यों व परिस्थतियों व कानून की जटिलताएं विद्यमान है जिन्हे विस्तृत विचारण कर वाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है। नामांतरकरण की अपील में कानून व तथ्यों की जटिल प्रश्नों को तय नही किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार फरमाई जावें।

5– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2015 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है और परिवार के सदस्यों को परिवार के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी होती है। अपीलांट का कथन है कि उसे नामांतरकरण संख्या 356 दिनांक 22.05.1985 की जानकारी दिनांक 02.05.2013 तक नहीं थी, कतई सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जिसे मियाद बाहर मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गलती नही की है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2015 उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर